ANNIE BESANT SCHOOL

प्रिय अभिभावक

सादर वंदन

हर्ष का विषय है कि हमारे सम्मिलित प्रयासों एवं आपसी सहयोग से शैक्षणिक सत्र 2024–25 पूर्णता की ओर है, नवीन शैक्षणिक सत्र 2025–26 अप्रैल माह में प्रारंभ होगा । आप सभी को हम आने वाले सत्र के लिए संस्था के विभिन्न नियमों से अवगत कराना चाहेंगें। आशा करते है आप इन नियमों का पालन करेंगें ।

1) नये शिक्षण सत्र 2025–26 की कक्षा X एवं XII 17 मार्च 2025, सोमवार तथा नर्सरी से कक्षा IX एवं XI 2 अप्रैल 2025, बुधवार से प्रारंभ होगी तथा 30 अप्रैल 2025 को सत्र का प्रथम भाग पूर्ण होगा ।

2) अप्रैल माह में कक्षाएं राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गए आदेशानुसार ही संचालित की जाएंगी । अगर कोई नया आदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है तो वह आदेश का पालन कर कक्षाएं संचालित की जाएंगी।

3) नए शिक्षण सत्र का शुल्क 30 अप्रैल, 2025 तक तथा विलम्ब शुल्क रु 200/– से 30 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा करवाए । समय पर शुल्क जमा न होने की स्थिति में विद्यार्थी को पुनः प्रवेश रु 1500/– शुल्क देय होगा। पूर्ण सत्र का शुल्क एक साथ 31 मार्च से पहले जमा करवाने पर 5% की रियायत रहेगी। तथा 30 अप्रैल से पूर्व पूर्ण शुल्क जमा करवाने पर जुलाई से दिसम्बर तक की किश्तों पर 5% की रियायत रहेगी ।

4) नए शैक्षणिक सत्र में बस सुविधा उन्ही छात्रों को दी जाएगी जिन्होने पूर्व में सुविधा ले रखी है। अगर आप अप्रेल माह से बस सुविधा लेना चाहते है तो 25 मार्च 2025 तक आवेदन कर बस सुविधा का लाभ सत्र 2025–26 से ले सकते है । बस शुल्क 11 माह का लिया जाएगा । एक बार बस सुविधा लेने के बाद सत्र के बीच में सुविधा वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। जिन पालको को अगले साल से बस सुविधा नहीं लेनी हो उन्हें बस सुविधा बंद करने का लिखित आवेदन 30 मार्च तक देना अनिवार्य होगा अन्यथा सत्र की बस फीस आवेदन देने तक लगेगी ।

5) जो विद्यार्थी अगले शैक्षणिक सत्र में इस विद्यालय में पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहते हैं वह स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी .सी) के लिए 30 मार्च 2025 तक आवेदन दे देवें अन्यथा विलम्ब से आवेदन देने पर माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 3618/री. ए.डी एम/2004 दिनांक 07/12/2004 के अनुसार जब भी आवेदन देंगे तब तक का शुल्क अनिवार्य रूप से देना होगा।

6) निर्धारित यूनिफार्म में तथा समय से ही विद्यार्थी को विद्यालय में आने कि अनुमति होगी। नियम पालन न करने पर विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

7) अपने पाल्य के सम्बन्ध में यदि प्राचार्य/डायरेक्टर महोदय से मिलना हो तो कृपया शनिवार दोपहर 01:00 बजे से 02:30 वजे के बीच ही मिले। अति आवश्यक कार्य हेतु फोन पर समय लेकर मिल सकते हैं। शैक्षणिक समस्या हेतु फोन पर समय लेकर मिल सकतेहै। शैक्षणिक समस्या हेतु आप निम्न हेल्प लाईन पर भी सम्पर्क कर सकतें है। कक्षा पहली से पांचवी तक–9329100711 कक्षा छठी से आठवी तक – 7880082272 कक्षा नवी से बाहरवीं तक 9320411161 हेल्प लाईन पर सम्पर्क न होने की स्थिती में उसी नंबर पर Whatsapp किया जा सकता है।

8) आपका सहयोग एवं सुझाव अपेक्षित है।

9) प्रबंधन समिति आवश्यक होने पर अपने विशेषाधिकार के अंतर्गत नियम एवं समय में परिवर्तन करने के लिए स्वतन्त्र है।

PTO

विशेष नोट :

1) यदि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र /छात्राओं के सगे भाई बहन का सत्र 2025–26 में प्रवेश होता है तो प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश शुल्क 50% माफ किया जायेगा एवं वार्षिक शिक्षण शुल्क में 2000/–की छूट का प्रावधान यथावत रहेगा।

2) सत्र 2025–26 में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त रु 1000/– ऐप शुल्क लिया जायेगा।

3) यदि पालको द्वारा छात्र /छात्रा की टी. सी ली जाती है तो जमा की गई कॉशनमनी, टी.सी लेने के 1 वर्ष के भीतर वापस लेना अनिवार्य रहेगा।

4) स्कूल यूनिफार्म तथा पुस्तकों के लिए किसी भी विक्रेता को अधिकृत नही किया है। पालक अपनी सुविधानुसार कही से भी खरीद सकते है, किन्तु वह निर्धारित मानक के अनुसार ही होनी चाहिए ।

5) शीतकालीन गणवेश में कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक के सभी छात्र–छात्राओं को नेवी ब्लू कलर का ब्लेजर अनिवार्य है।

6) नवीन सत्र से विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास हेतु अगर कोई नयी योजना लागू की जाती है तो उसका अतिरिक्त शुल्क (शिक्षण शुल्क) के अलावा लिया जायेगा।

7) नऐ सत्र से शिक्षण एवं बस शुल्क का भुगतान स्कूल डायरी एप , चेक अथवा विद्यालय में आकर डिजीटल पेमेंट से कर सकते है। पालकों के लिए क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध है। जिसके लिए बैंक नियमानुसार शुल्क भुगतान करना रहेगा ।

8) पुराने पेटीएम से भुगतान मान्य नहीं होगा ।

9) पालक अथवा अभिभावक को अपने पाल्य को बिना Handover card (ESCORT Card) के सुपुर्द नहीं किया जाएगा ।

प्राचार्य
एनी बेसेन्ट स्कूल